न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 278/17 **निर्णय दिनांकः** 30-10-17

1. उदाराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी तख्तपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. चन्द्रभान पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31—01—2017
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के निर्णय दिनांक 31—01—2017 जिसके द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये आवंटन प्रकिया व नियमों के विरूद्व आदेश जैर अपील पारित किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने वादगत् भूमि चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 के किला नम्बर 25 में तादादी 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु वर्ष 1999 में नियमानुसार आवंटन प्रार्थन पत्र प्रस्तुत

किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम वरीयता होते हुए भी अपीलांट के आवेदन पत्र पर गौर किये बिना पन्डिग रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विलल्प में आवंटित करने मे भारी कानूनी भूल की है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि पर मात्र अपीलांट का ही आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर अनआवेदित बताकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर वर्ष 2007 में चक 2 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 128/36 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विशेष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। चूंकि उक्त आवेदित भूमि अन्य को आवंटनशुदा होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट द्वारा चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 की 25 बीघा भूमि कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि विकल्प में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटित किये जाने हेतु निवेदन करने पर अदालत मातहत द्वारा विलल्प में इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए)(5)(4) के द्वितीय परन्तुक के अध्यधीन अन्य प्रस्तावित भूमि चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 की 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है एवं इस हेतु अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है, अतः आवंटन का पात्र घोषित किया जाता है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश की पालना आवंटन पत्र जारी किया जा चुका है व रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का आराजी जैर पर कोई हक व हकूक नहीं बनता है। केवल मात्र एक प्रार्थना पत्र जो कि वर्ष 1999 में प्रस्तुत किया गया था, के आधार पर अपीलांट आवंटन का पात्र नहीं माना जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलांट का आवंटन बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—01—2017 के विरूद्व दिनांक 07—09—2017 को अपील प्रस्तुत की है। चूंकि आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

(2) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी जैर के आवंटन हेतु वर्ष 1999 में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया व धरोहर राशि स्वरूप 500/— रूपये जरिये जी.ए. 55 रसीद नम्बर 406953/46 दिनांक 30—06—1999 को जमा करवाये गये। अतः यह तथ्य स्वीकार योग्य है कि अपीलांट द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से पूर्व में ही आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश पारित करते समय आवंटन आदेश में अंकित किया है कि आराजी जैर चक 6 केपीएम के मुरब्बा नम्बर 86/20 की 25 बीघा भूमि हेतु अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं है। जो विरोधाभासी है।

(4) अदालत मातहत द्वारा आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त आराजी के आवंटन हेतु पूर्व में ही अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जब आराजी जैर हेतु अपीलांट का आवेदन लम्बित चल रहा था, ऐसी स्थिति में आराजी जैर के आवंटन से पूर्व अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इन तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है। जो काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—01—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 30-10-17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर